कार्यालय अधिशासी अभियन्ता,
निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग, रानीखेत

पंजीकृत

दूरभाष :- 05966-220035 फैक्स :- 05966-220035 ई-मेल cdpwdrkt@gmail.com

पत्रांक 1744 /18सी. दिनांक, रानीखेत, 31-7-2018

सेवा में,

प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी,
वन संरक्षक इन्दिरा नगर
फारेस्ट कालौनी उत्तराखण्ड
देहरादून।

विषय :- विनायक-रिखाड़-कोटियाग मोटर मार्ग के वन भूमि हस्तान्तरण के सम्बन्ध में। (प्रस्ताव सं. 8483/2014)

संदर्भः- भारत सरकार का पत्रांक 08ब0/यू0सी0पी0/06/184/2015/एफ0सी0/1129 दिनांक 18.10.2016।

महोदय,

उपरोक्त विषयक संदर्भित क्रम में आपको अवगत कराना है कि उक्त संदर्भित की अनुपालन आख्या इस कार्यालय के पत्रांक 1387/18 सी0 दिनांक 23.06.2018 द्वारा आख्या चार प्रतियों में प्रभागीय वनाधिकारी अल्मोड़ा को प्रेषित की गयी थी। परन्तु प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा मौखिक रूप से अवगत कराया गया है कि उक्त आख्या नोडल अधिकारी देहरादून को प्रेषित करते हुए प्रति इस कार्यालय को प्रेषित करें, के क्रम में उक्त संदर्भित पत्र की अनुपालन आख्या निम्नवत् है :-

1. शर्त संख्या-1 के अनुसार 5.4हे. ग्राम नैणी की सिविल एवं सोयम भूमि जिलाधिकारी, अल्मोड़ा के आदेश सं. 4359/ग्यारह-13/2017-18 दिनांक 04.06.2018 द्वारा वन विभाग के पक्ष में हस्तान्तरित कर दिया गया है, आदेश की प्रति संलग्न है एवं क्षतिपूरक वृक्षारोपण,10वर्षो तक रखरखाव ₹ 1243630.00, UTR नम्बर SBINR 52017107601600061508 दिनांक 16.10.2017 जमा कर दी गयी है।
2. शर्त संख्या-2 एन0पी0वी0 की धनराशि ₹ 2281500.00 UTR नम्बर SBINR 52017107601600061508 दिनांक 16.10.2017 कुल ₹ 3525130.00 मात्र आन लाईन द्वारा जमा कर दिया गया है।
3. शर्त संख्या-3 के अनुसार भविष्य में यदि एन0पी0वी0 की दरों में बढ़ोत्तरी होती है तो बढ़ी हुई राशि अतिरिक्त जमा कर दी जायेगी, जिसका प्रमाण पत्र संलग्न है।
4. शर्त संख्या-5 सड़क के दोनों किनारों तथा Central Verge पर इस विभाग द्वारा Strip Plantation करा दिया जायेगा, जिसका प्रमाण पत्र प्रेशित किया गया है।
5. शर्त संख्या-6 नैणी की सिविल एवं सोयम भूमि के स्थल उपयुक्तता प्रमाण पत्र एवं संशोधित CA Scheme प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा प्रेषित की जायेगी है।

भारत सरकार एवं पर्यावरण वन एवं जलवायु पर्यावरण मंत्रालय के परिपत्र संख्या 11-306/2014-एफ.सी. दिनांक 8.8.14 द्वारा जारी दिशा निर्देशों के क्रम में उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश सं. 4949/111(2)/2014-03(सामा.)/208 टी.सी. दिनांक 9.9.14 द्वारा लो0नि0वि0 को निर्देशित किया गया है कि सैद्धान्तिक स्वीकृति में शर्तो का अनुपालन हो जाने पर इसी को ही पेड़ कटान एवं कार्य प्रारम्भ करने की अनुमति मान लिया गया है, तददनुसार योजना का क्रियान्वयन शीघ्रातिशीघ्र प्रारम्भ किया जाय।

अतः आपसे अनुरोध है कि उक्त मोटर मार्ग में पड़ने वाले वृक्षों के छपान व पातन की कार्यवाही करने हेतु प्रभागीय वनाधिकारी अल्मोड़ा को निर्देशित करने की कृपा करें।

भवदीय,

(मोहन चन्द्र जोशी)
अधिशासी अभियन्ता,
निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग,
रानीखेत

पत्रांक 1744 /18सी. तद्दिनांकित

प्रतिलिपि जिलाधिकारी, अल्मोडा को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि प्रभागीय वनाधिकारी, अल्मोड़ा को सूचनार्थ एवं इस आशय से प्रेषित कि इस कार्यालय के पत्रांक 1387/18 सी0 दिनांक 23.06.2018 एवं पत्रांक 1626/18 सी0 दिनांक 19.07.2018 द्वारा प्रेषित आख्या नोडल अधिकारी देहरादून को प्रेषित करने की कृपा करें।

प्रतिलिपि सहायक अभियन्ता, प्रथम, निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0, रानीखेत को सूचनार्थ एवं इस आशय से प्रेषित कि उक्त के सम्बन्ध में व्यक्तिगत रूचि लेते हुए आवश्यक कार्यवाही करना सुनिश्चित करें। विलम्ब के लिए आप स्वयं जिम्मेदार होंगे।

अधिशासी अभियन्ता,
निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग,
रानीखेत

Lata -Ameen Letter

खसरा ग्राम नैणी पटवारी क्षेत्र पैठानी तहसील द्वाराहाट जिला अल्मोड़ा

कार्य का नाम :– विनायक–रिखाड़ कोटियाग मोटर मार्ग के निर्माण हेतु क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु

पैमासी खेत सं.	रकवा	खतौनी खाता सं.	खातेदार का नाम	चयनित भू–भाग का विवरण				विशेष विवरण
				खेत संख्या	रकवा (हे.में.)	खाता संख्या	श्रेणी	
1555	5.983	21	उत्तराखण्ड सरकार (बंजर काबिल आबाद)	1555	5.400	21	९(३)ड.	
योग	**5.983**			योग	**5.400**			

उपनिरीक्षक राजस्व पुलिस
क्षेत्र
तहसील द्वाराहाट (अल्मोड़ा)

एन0पी0वी0 की देयता का प्रमाण पत्र।

परियोजना का नामः— विनायक—रिखाड़—कोटियाग मोटर मार्ग के निर्माण।

प्रमाणित किया जाता है कि माननीय उच्च न्यायालय / भारत सरकार द्वारा भविष्य में एन0पी0वी0 की वर्तमान दरों में वृद्धि की जाती है तो प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा बढ़ी हुई एन0पी0वी0 की धनराशि का भुगतान वन विभाग को किया जायेगा।

अधिशासी अभियन्ता,
निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0
रानीखेत

प्रमाण पत्र

डायरी नं० 2210
फाईल नं० 18
दिनांक 21/6/18

आदेश

जनपद अल्मोड़ा मे तहसील द्वाराहाट, अल्मोड़ा के अर्न्तगत विनायक–रिखाड़–कोटिला मोटर मार्ग प्रस्तावित मोटरमार्ग के निर्माण से प्रभावित होने वाली 5.400 हैक्टयर वनभूमि के सापेक्ष क्षतिपूरक–वृक्षारोपण हेतु दोगुनी क्षेत्रफल की कुल–5.400 हैक्टेयर सिविल भूमि को नियमानुसार वन विभाग के प्रशासनिक नियन्त्रण मे हस्तान्तरित/नामान्तरित किये जाने के सबंध मे प्रमुख सचिव, राजस्व अनुभाग–2, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून के शासनादेश संख्या–2173/XVIII(II)/2012-18(120)/2010, दिनांक 17 दिसम्बर, 2012 के द्वारा निर्गत शासनादेश के अनुपालन मे उपरोक्त मोटरमार्ग के निर्माण से प्रभावित होने वाली वनभूमि के सापेक्ष क्षतिपूरक–वृक्षारोपण हेतु सिविल भूमि उपलब्ध कराये जाने के सबंध मे तहसीलदार द्वाराहाट, के पत्रांक 136/र.का.क्षतिपूरक वृक्षारोपण/2014–15 दिनांक 09.05.2018 के द्वारा प्रेषित तथा उप जिलाधिकारी, द्वाराहाट द्वारा अग्रसारित प्रस्ताव पर याचक विभाग अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0 रानीखेत, पत्रांक संख्या–1018/27 सी.दिनांक 15–05–2018 के द्वारा प्रेषित किये गये प्रस्ताव के साथ निम्नवतः अभिलेखों सहित क्षतिपूरक–वृक्षारोपण हेतु दिनांक 17.04.2018 को चयनित की गई भूमि की संयुक्त निरीक्षण रिर्पोट, चयनित की गई भूमि की खतौनी, व खसरा एवं चयनित भूमि का मौका नक्शा एवं निर्धारित प्रारूप–2, तथा तहसीलदार/उप जिलाधिकारी, द्वाराहाट, की आख्या सहित वन संरक्षक, भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, 25 सुभाष रोड देहरादून, के पत्रांक 08 बी/यू0सी0पी0/06/184/2015 एफ0सी0/1129, दिनांकः 18–10–2016 के द्वारा निर्गत आदेश के आधार पर क्षतिपूरक–वृक्षारोपण हेतु ग्राम–नैणी, राजस्व उप निरीक्षक क्षेत्र–पैठानी ,तहसील–द्वाराहाट के गै0ज0 वि0ख0खा0संख्या–21 की श्रैणी–9(3)ड़ "बंजर काबिल आबाद" भूमि के पैमायसी खेत नम्बर 1555 मध्य 5.400 हैक्टेयर, अर्थात कुल 01 खेत नम्बरान की कुल 5.400 हैक्टेयर सिविल भूमि को क्षतिपूरक–वृक्षारोपण हेतु प्रस्तावित किया गया है। तद्नुसार ही क्षतिपूरक–वृक्षारोपण हेतु प्रस्तावित की गई भूमि को वन विभाग के प्रशासनिक नियन्त्रण मे नामान्तरित की जाती है। तहसीलदार द्वाराहाट उक्तानुसार ही राजस्व अभिलेखों मे अमलदरामद करने उपरान्त खतौनी नकल की प्रति प्रभागीय वनाधिकारी,वन प्रभाग, अल्मोड़ा को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करें। उक्त कार्यवाही वन संरक्षण अधिनियम, 1980 में उल्लिखित प्राविधानों के अनुरूप होगी।

(इवा आशीष श्रीवास्तव)
जिला अधिकारी, अल्मोड़ा।

कार्यालय जिला अधिकारी, अल्मोड़ा
संख्या 4359/ग्यारह– 13 /2017–18, दिनांकः 04-06-~~मई~~ 2018

प्रतिलिपिःनिम्नाकिंतों को सूचनार्थ प्रेषित :–

1– प्रभागीय वनाधिकारी, अल्मोड़ा वन प्रभाग, अल्मोड़ा।
2– अधीक्षण अभियन्ता, प्रथम वृत्त, लोक निर्माण विभाग, अल्मोड़ा।
3– उप जिलाधिकारी, द्वाराहाट।
4– अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0 रानीखेत।
5– तहसीलदार, द्वाराहाट को उक्तानुसार अनुपालन सुनिश्चित किये जाने हेतु प्रेषित।

(इवा आशीष श्रीवास्तव)
जिला अधिकारी, अल्मोड़ा

AGENCY COPY

NEFT / RTGS CHALLAN for Ad-HOC CAMPA

Date : 03-10-2017

Agency Name.	PUBLIC WORK DEPARTMENT
Application No.	11384832014231
Location.	UTTARANCHAL
Address.	Construction Division P.W.D RanikhetAlmora
Amount(in Rs)	3141893/-

Amount in Words :Thirty-One Lakh Forty-One Thousand Eight Hundred and Ninety-Three Rupees Only

NEFT/RTGS to be made as per following details;

Beneficiary Name:	UTTARANCHAL CAMPA
IFSC Code:	CORP0000633
Pay to Account No.	1508911384832014231
Bank Name & Address:	Corporation Bank FCS Bangalore, * Note : The proceeds of the payment will be creadited to the respective CAMPA State Account.

- This Challan is strictly to be used for making payment to CAMPA by NEFT/RTGS only

After making successful payment, User Agencies ma

Email: helpdeskcampa@corpbank.co.in

3/10/17

अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो० नि० वि०
रानीखेत (अल्मोड़ा)

UTR NO-
SBINR52017101600061508.

भारतीय स्टेट बैंक / SBI
00704

16/10/2017.

प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि विनायक–रिखाड़–कोटियाग मोटर मार्ग के निर्माण के पश्चात सड़क के दोनों किनारों तथा Central Verge पर इस विभाग द्वारा Strip Plantation करा दिया जायेगा,

अधिशासी अभियन्ता,
निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0,
रानीखेत

भारत सरकार
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
क्षेत्रीय कार्यालय,
पिर्यसन रोड,
वन अनुसंधान संस्थान परिसर,
पो0ओ0 न्यू फॉरेस्ट ,देहरादून–248006
दूरभाषः 0135–2750809,
ईमेल / Email – moef.ddn@gmail.com

GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF ENVIRONMENT,
FORESTS & CLIMATE CHANGE,
REGIONAL OFFICE,
Pearson Road, FRI Campus,
P.O. New Forest, Dehradun – 248006
Phone: 0135-2750809

पत्र सं0 08बी / यू0सी0पी0 / 06 / 184 / 2015 / एफ0सी0 / 1129

दिनांकः 18 / 10 / 2016

सेवा में

अपर मुख्य सचिव (वन),
उत्तराखण्ड शासन,
सुभाष रोड, देहरादून।

विषय : जनपद -- अल्मोड़ा में विनायक–रिखाड़–कोटियाग तक मोटर मार्ग निर्माण हेतु 2.7 है0 वन भूमि का उत्तराखण्ड लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन।

सन्दर्भः ऑनलाइन प्रस्ताव संख्या–FP/UK/ROAD/8483/2014

महोदय,

उपरोक्त विषय पर Online Proposal No. FP/UK/ROAD/8483/2014 का अवलोकन करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा विषयांकित प्रस्ताव पर केन्द्र सरकार से वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 की धारा–2 के तहत स्वीकृति मांगी थी।

प्रश्नगत प्रकरण पर समय–समय पर राज्य सरकार से आवश्यक जानकारियां / दस्तावेज online मंगवाए जाते रहे है, जिनके प्राप्त होने एवं प्रस्ताव पर ध्यानपूर्वक विचार करने के उपरान्त मुझे आपको यह सूचित करने का निर्देश हुआ है कि केन्द्र सरकार जनपद–अल्मोड़ा में विनायक–रिखाड़–कोटियाग तक मोटर मार्ग निर्माण हेतु 2.7 है0 वन भूमि का उत्तराखण्ड लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन किये जाने की **सैद्धान्तिक स्वीकृति निम्नलिखित** शर्तो पर प्रदान करती है:–

1. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रत्यावर्तित भूमि के बदले 5.40 है0 ग्राम– डबरा सौशल सिविल सोयम भूमि पर प्रतिपूरक वृक्षारोपण एवं उसके 10 वर्षो तक रखरखाव हेतु आवश्यक धनराशि (वर्तमान दरों को समाहित करते हुये यथासंशोधित) जमा की जायेगी। उक्त भूमि वन विभाग के स्वामित्व के बाहर है अतः इसे वन विभाग के पक्ष में हस्तान्तरण एवं नामान्तरण किया जायेगा। भूमि के हस्तान्तरण एवं नामान्तरण करने के पश्चात् ही इस कार्यालय द्वारा विधिवत स्वीकृति प्रदान की जायेगी।
2. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा भारत सरकार के पत्र संख्या 5–3 / 2007–एफ.सी. दिनांक 05.02.2009 के तहत दिये गये आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन.पी.वी.) की निर्धारित राशि जमा की जायेगी।
3. शुद्ध वर्तमान मूल्य की दर में अगर बढ़ोतरी होती है, तो बढ़ी हुई दर के अनुसार अतिरिक्त धनराशि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा जमा की जायेगी। इस आशय की प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वचन बद्धता प्रस्तुत की जाए।
4. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा भारत सरकार पत्र संख्या 5–3 / 2007–एफ.सी. दिनांक 05.02.2009 के तहत दिये गये आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन.पी.वी.) तथा दूसरी सभी निधियां प्रतिपूर्ति वृक्षारोपण निधि प्रबन्धन तथा योजना प्राधिकरण (CAMPA) के तदर्थ निकाय खाते मे **Online Portal** के माध्यम द्वारा जो चालान **Generate** होता है उसी के माध्यम से किया जाना आवश्यक है, जिसकी सूचना इस कार्यालय को प्रेषित की जाए।
5. सड़क निर्माण के पश्चात् जहां–जहां सभंव हो सड़क के दोनों किनारों तथा Central Verge पर प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा अपने व्यय पर वन विभाग की देख–रेख में strip plantation की जाएगी। इस आशय की वचन बद्धता प्रेषित करनी होगी।

6. राज्य सरकार द्वारा प्रतिपूरक वृक्षारोपण हेतु चयनित ग्राम डबरा सौराल सिविल सोयम भूमि के लिये स्थल उपयुक्तता प्रमाण पत्र एवं संशोधि CA Scheme, जिसके CA हेतु चयनित स्थल का नाम भी लिखा गया हो, प्रस्तुत की जायेगी।

उपरोक्त सभी शर्तो के परिपूर्ण एवं बिन्दुवार सुस्पष्ट परिपालन आख्या प्राप्त होने पर ही वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के त विधिवत स्वीकृति जारी की जायेगी। कृपया अपूर्ण परिपालना आख्या इस कार्यालय को प्रेषित न की जाये। राज्य सरकार द्वारा विधिवत् स्वीकृ तथा प्रयोक्ता अभिकरण को वन भूमि हस्तान्तरण की कार्यवाही तब तक नहीं की जायेगी जब तक वन भूमि हस्तान्तरण की विधिवत् स्वीकृ भारत सरकार द्वारा जारी नहीं की जाती। सैद्धान्तिक स्वीकृति की अनुपालन आख्या प्रेषित करने के पश्चात् **विधिवत् स्वीकृति अन्य आवश्यक श सहित निम्नलिखित शर्तो के साथ प्रदान की जायेगीः–**

1. वन भूमि की विधिक परिस्थिति नही बदली जाएगी।
2. एन.पी.वी. की दरो में अगर बढ़ोतरी होती है तो प्रयोक्ता अभिकरण बढ़ी दरों पर एन.पी.वी. देने के लिए बाध्य होगा।
3. प्रतिपूरक वृक्षारोपण हेतु चयनित 5.40 है0 सिविल एवं सोयम भूमि को छः माह के अन्दर भारतीय वन अधिनियम, 1927 के अन्त आरक्षित/संरक्षित वन घोषित किया जायेगा तथा नोडल अधिकारी द्वारा अधिसूचना की एक प्रति क्षेत्रीय कार्यालय को प्रेषित की जाएगी।
4. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित वन क्षेत्र के आस–पास मजदूरों/स्टॉफ के लिये किसी भी प्रकार का लेबर कैम्प नहीं लगाया जायेगा।
5. प्रयोक्ता अभिकरण प्रत्यावर्तन हेतु प्रस्तावित वन भूमि का चार फीट ऊँचे आर0सी0सी0 पिलर लगाकर सीमांकन करेगा जिन पर Forwa एवं Back bearing अंकित किया जायेगा।
6. प्रयोक्ता अभिकरण के द्वारा निर्माण कार्य के दौरान स्थल पर कार्यरत मजदूरों एवं स्टॉफ के लिये रसोई गैस/कैरोसिन तेल की आपूर्ति जायेगी, जिससे निकटवर्ती वनो को क्षति न पहुँचे।
7. परियोजना के निर्माण व रख–रखाव के दौरान आस–पास के क्षेत्र की वनस्पतियों एवं जीव–जन्तुओं को किसी प्रकार की क्षति नहीं पहुचा जायेगी।
8. वन भूमि का प्रयोग प्रस्ताव में दर्शाये गये उद्देश्य के अलावा अन्य किसी उद्देश्य के लिए नही किया जायेगा।
9. कम से कम वृक्षों का कटान/पातन किया जाएगा, जिनकी संख्या प्रस्ताव के अनुसार 53 से अधिक न हो।
10. सड़क निर्माण के पश्चात् जहां–जहां सभंव हो सड़क के दोनों किनारों तथा Central Verge पर प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा अपने व्यय वन विभाग की देख–रेख में strip plantation की जाएगी।
11. परियोजना निर्माण से उत्सर्जित मलवे का निस्तारण प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तुत मलवा निस्तारण योजना के अनुसार प्रभागीय वनाधिक की देख–रेख में किया जाएगा एवं निर्दिष्ट स्थानों के अलावा अन्यत्र मलवा नहीं फेंका जाएगा।
12. यदि कोई अन्य सम्बन्धित अधिनियम/अनुच्छेद/नियम/न्यायालय आदेश/अनुदेश आदि इस प्रस्ताव पर लागू होते है तो उनके अधी जरूरी अनुमति लेना राज्य सरकार/प्रयोक्त एजेंसी की जिम्मेवारी होगी।
13. ऐसी अन्य कोई भी शर्त जो कि भारत सरकार भविष्य में पर्यावरण, वन एवं वन्य जीवों के संरक्षण हेतु आवश्यक समझे।

यदि विधिवत् स्वीकृति में दी गई शर्तो का संतोषजनक अनुपालन नहीं किया जाता है तो स्वीकृति को तत्काल प्रभाव से निरस्त किया जा सकता है।

भवदीय

(एम. एस. नेगी
वन संरक्षक

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः

1. अपर वन महानिदेशक (एफ0सी0), पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, इन्दिरा पर्यावरण भवन, जोरबाग रोड, अलीगंज, नई दिल्ली।
2. अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, इन्दिरा नगर फारेस्ट कालोनी, देहरादून, उत्तराखण्ड।
3. आदेश पत्रावली।

(एम. एस. नेगी
वन संरक्षक